

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार



चिकित्सीय
आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए
कृपया 112 पर डायल करें।

रजि.न.34300/80 | संख्या 301 | श्री विजयपुरम, बुधवार, 11 नवंबर 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

अण्डमान में मौजूद हैं आर्थिक व पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं : डॉ. दिनेश शर्मा

भारत की आर्थिक तरक्की का केंद्र बनेगा अण्डमान

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तर्ज़ पर विकसित होगा ग्रेट निकोबार का बंदरगाह

पर्यटन विकास के लिए शुरू हों सकती है अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

अंग्रेज़ों का काला पानी बनेगा देश का अमृत पानी







लखनऊ/श्री विजयपुरम, 10 नवम्बर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल एवं पूर्व राज्य सभा सांसद, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आर्थिक एवं पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य से समृद्ध अण्डमान देश के लिए सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में ये भारत की आर्थिक तरक्की का केंद्र बनने जा रहा है। अंग्रेज़ों ने उसे काला पानी बनाया था पर आज वो देश के लिए अमृत पानी की तरह है। लखनऊ विश्वविद्यालय में "अण्डमान–निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन विकास के अवसर तथा आर्थिक विकास की संभावनाएं" विषय पर अर्थविशेषज्ञों की विशेष परिचर्चा में माननीय उप राज्यपाल ने यह बात कही।

माननीय उप राज्यपाल ने कहा कि 836 द्वीप के इस समूह में से 31 पर ही आबादी है तथा शेष पर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से तमाम संभावनाएं हैं। वहाँ के समुद्र तट दुनिया के खूबसूरत तट की श्रेणी में शामिल है। समुद्र का नीला पानी और आस पास की हरियाली प्रकृति का शानदार नज़ारा देती है जो हमेशा के लिए मन मस्तिष्क में बस जाता है। पर्यटन विकास के लिए वहाँ से अंतरराष्ट्रीय उड़ानो की शुरुआत भविष्य में हो सकती है। दिसम्बर में एशिया के 10 देशों के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए अण्डमान आमंत्रित किया गया है। उड़ानो की संख्या में वृद्धि की गई है।

डॉ. शर्मा ने कहा कि पर्यटन विकास के साथ ही अण्डमान को डेस्टिनेशन वेडिंग का पसंदीदा स्थान बनाने की दिशा में भी कवायद शुरू की जा रही है। सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा जिससे पर्यटक आने के लिये आकर्षित हो। सेल्यूलर जेल का लाइट एंड साउंड शो स्वतंत्रता सेनानियों की ऐसी कहानी कहता है,



जिससे दर्शकों की आंखे नम हो जाती है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की कार्ययोजना बन रही है जिससे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को पंख लग सके। जल क्रीड़ा और दिवसीय पर्यटन की अनुमतियों की प्रक्रिया डिजिटल हुई है। पक्षी अवलोकन और कारवां पर्यटन को प्रोत्साहित किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस द्वीप की देश से दूरी के चलते ही अंग्रेज़ों ने इसे भारतीय क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा से दूर करने के स्थान की तरह प्रयोग किया। यहाँ पर दंड बस्ती और जेल बनाकर क्रांतिकारियों को जेल भेजा गया और तमाम यातनाएँ दी गईं। जेल भी ऐसी कि अगल–बगल के क़ैदी भी एक दूसरे के बारे में जान नहीं सकें। वीर सावरकर और उनके भाई एक साथ यहाँ रहे पर एक दूसरे से मिल नहीं पाये। यातनाएँ ऐसी कि बात बात पर कोड़े बरसाए जाते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अण्डमान में भारतीय तिरंगा फहरा कर स्वतंत्रता का बिगुल फूँका था।

उनका कहना था कि पर्यटन विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर ज़ोर दिया जा रहा है, जिसके तहत 2047 तक पर्यटन ढांचे को हरित बनाने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। नए हवाई अड्डों को विकसित किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तर्ज़ पर विकसित करने की योजना है। ये ऐसा द्वीप होगा जिसके चारों तरफ आर्थिक चक्र घूमेगा।

उन्होंने कहा कि विकास की रफ़्तार के साथ जनजातीय संरक्षण का भी ध्यान रखा जा रहा है। जलवायु का संतुलन और रोज़गार के नए अवसर भी प्राथमिकता में शामिल हैं। मत्स्य पालन को प्रोत्साहन और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से काम किया जा रहा है। अण्डमान भारत की विविधता के भी दर्शन कराता है। हर जाति धर्म संप्रदाय प्रदेश के लोग यहां पर देश के मजबूती को बढ़ा रहे हैं।

इस अवसर पर कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर जेपी सैनी जी, संकाय अध्यक्ष वाणिज्य विभाग प्रो. अर्चना सिंह, विभाग अध्यक्ष वाणिज्य विभाग प्रो. अवधेश कुमार, पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉ. राम मिलन, प्रोफेसर राजीव महेश्वरी, डॉ. अनूप सिंह, डॉ. विमल जयसवाल जी आदि उपस्थित रहे।

लाल बिजन, डेयरी फार्म में एलईडी फ्लडलाइट सुविधा युक्त बहुउद्देशीय खुले खेल मैदान का उद्घाटन

श्री विजयपुरम, 10 नवंबर।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत लाल बिजन, डेयरी फार्म में एलईडी फ्लडलाइट सुविधा युक्त बहुउद्देशीय खुले खेल मैदान का उद्घाटन अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्रीमती वसंता मुथुरामन, अध्यक्ष, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद (एसवीपीएमसी), वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री वी. वेत्रिवेलु, एसवीपीएमसी के सभी पार्षद, पूर्व अध्यक्ष श्री के. गणेशन एवं पूर्व पार्षद श्री के. उदयकुमार सहित वार्ड संख्या–9 के सभी निवासी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के दौरान अंडर–19 बालिका वॉलीबॉल मैच का रोमांचक आयोजन किया गया। इस अवसर पर वार्ड संख्या–9 के पार्षद श्री वी. रविचंद्रन ने बच्चों को क्रिकेट एवं बैडमिंटन किट वितरित किए। इसका उद्देश्य युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना तथा खेल गतिविधियों में



उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना था। इस पहल से

शेष पृष्ठ 4 पर

दक्षिण अण्डमान ज़िला योजना समिति की दो दिवसीय बैठक शुरू

वर्ष 2027–28 की ज़िला कार्ययोजना पर हुई व्यापक चर्चा





श्री विजयपुरम, 10 नवंबर।

दक्षिण अण्डमान ज़िला योजना समिति की दो दिवसीय बैठक आज दक्षिण अण्डमान ज़िला परिषद के सम्मेलन कक्ष में ज़िला परिषद, दक्षिण अण्डमान के अध्यक्ष श्री पी. उमर की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक में वर्ष 2027–2028 की प्राथमिकता आधारित ज़िला कार्ययोजना तथा पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की वर्ष 2026–2027 की प्राथमिकता आधारित कार्ययोजना पर चर्चा कर उन्हें अंतिम रूप देने के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। इसमें कैंपबेल बे के राजस्व क्षेत्र को भी शामिल किया गया है।

बैठक में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय, योजना एवं वित्त सचिव श्री हेमंत कुमार, भा.प्र.से., ज़िला परिषद के सदस्य, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के पार्षद, पंचायत समिति लिटिल अण्डमान, प्रोथरापुर एवं फरारगंज के प्रमुख (विशेष आमंत्रित सदस्य) तथा प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के प्रारंभ में दक्षिण अण्डमान ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं ज़िला योजना समिति के पदेन सचिव श्री रजनीश कुमार सिंह, भा.प्र.से., ने ज़िला योजना समिति के अध्यक्ष, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद, योजना एवं वित्त सचिव तथा समिति के सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति पूरी होने की जानकारी देते हुए सदस्यों से वर्ष 2027–2028 की प्राथमिकता आधारित ज़िला कार्ययोजना तथा दक्षिण अण्डमान ज़िले की पंचायती राज संस्थाओं की वर्ष 2026–2027 की प्राथमिकता आधारित कार्ययोजना पर चर्चा कर उन्हें अंतिम रूप देने का अनुरोध किया।

ज़िला परिषद, दक्षिण अण्डमान के अध्यक्ष एवं ज़िला योजना समिति के अध्यक्ष श्री पी. उमर ने माननीय सांसद, समिति के सदस्यों तथा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने ज़िला योजना समिति की बैठक के समग्र उद्देश्यों एवं महत्व के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक के दौरान शिक्षा विभाग, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम), अण्डमान कॉलेज (एनकॉल), डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट), टैगोर कॉलेज, लॉ कॉलेज, खेल एवं युवा मामले, पशुपालन एवं पशु

शेष पृष्ठ 4 पर

वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण एवं आपातकालीन बटन से छेड़छाड़ करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

श्री विजयपुरम, 10 नवंबर।

भारत सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 118 के तहत परिवहन वाहनों की निर्धारित श्रेणियों में गति नियंत्रक उपकरण (एसएलडी) लगाना अनिवार्य किया है। ये उपकरण वाहनों को निर्धारित अधिकतम गति सीमा से अधिक तेज चलने से रोकने तथा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उक्त नियम के अनुसार, अधिसूचित परिवहन वाहनों अर्थात मालवाहक एवं यात्री वाहनों के लिए अधिकतम पूर्व निर्धारित गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें दोपहिया एवं तिपहिया वाहन, क्वाड्रिसाइकिल, अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस

शेष पृष्ठ 4 पर

बकरी पालन एवं मुर्गी पालन में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे

श्री विजयपुरम, 10 नवंबर।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा केवीके–सीआईएआरआई तथा उद्योग विभाग के सहयोग से सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित रैम्प योजना के अंतर्गत नवंबर, 2026 के तीसरे सप्ताह से केवीके–सीआईएआरआई में बकरी पालन एवं मुर्गी पालन के क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बकरी पालन अथवा मुर्गी पालन को स्वरोज़गार एवं उद्यम के रूप में शुरू करने के इच्छुक ग्रामीण युवाओं, किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों तथा बेरोज़गार युवाओं से अनुरोध किया गया है कि वे 14 नवंबर तक अपने नाम संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पास पंजीकृत करवा लें। चयनित उम्मीदवारों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद उन्हें



एमएसएमई के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत कराया जाएगा, ताकि वे अपना स्वयं का उद्यम शुरू कर सकें। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार डॉलीगंज स्थित पशुधन फार्म परिसर के पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण

पृष्ठ 1 का शेष

तथा पुलिस वाहनों को लागू छूट के अधीन रखा गया है। वहीं, डंपर, टैंकर, स्कूल बस, खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहन तथा नियम के अंतर्गत विशेष रूप से शामिल अन्य श्रेणियों के वाहनों के लिए अधिकतम पूर्व निर्धारित गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। वाहन मालिकों एवं संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वाहन की संबंधित श्रेणी के अनुसार सही उपकरण लगा हो तथा उसमें निर्धारित गति सीमा का सही समायोजन किया गया हो।

हालांकि, यह देखा गया है कि कुछ वाहन मालिक एवं संचालक फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद गति नियंत्रक उपकरण को हटा देते हैं, उसका संपर्क विच्छेद कर देते हैं अथवा उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां इस अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था के उद्देश्य को विफल करती हैं तथा वाहन को लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं रहने देती हैं।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अंतर्गत किसी परिवहन वाहन को उपयोग के लिए उपयुक्त बने रहने हेतु अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों की लागू आवश्यकताओं का निरंतर अनुपालन करना अनिवार्य है। यदि कोई वाहन इन आवश्यकताओं का अनुपालन करना बंद कर देता है, तो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा लागू वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार उसके फिटनेस प्रमाणपत्र के संबंध में कार्रवाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, उल्लंघन के मामलों में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं, जिसमें जहां लागू हो धारा 177ए भी शामिल है, के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसी प्रकार, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 125एच के तहत पात्र सार्वजनिक सेवा वाहनों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण (वीएलटीडी) तथा एक या अधिक आपातकालीन बटन लगाना अनिवार्य है। यह प्रावधान नियम में निर्धारित छूट के अधीन लागू होता है। इसके अंतर्गत पात्र बसें, मोटर कैब, मैक्सी कैब, लग्ज़री कैब, ओमनी बसें, निजी सेवा वाहन, टैक्सी तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(35) के तहत सार्वजनिक सेवा वाहन की परिभाषा में आने वाले अन्य पात्र वाहन शामिल हैं।

निर्धारित छूट में दोपहिया वाहन, ई–रिक्शा, तिपहिया वाहन तथा ऐसे परिवहन वाहन शामिल हैं, जिनके लिए अधिनियम के तहत परमिट की आवश्यकता नहीं है। इन उपकरणों का निर्धारित मानकों के अनुरूप होना तथा उनका उचित तरीके से स्थापित, सक्रिय एवं कार्यशील रहना आवश्यक है। फिटनेस प्रमाणपत्र अथवा परमिट प्राप्त करने के बाद इन उपकरणों को हटाना, उनका संपर्क विच्छेद करना, उनके साथ छेड़छाड़ करना अथवा उन्हें निष्क्रिय करना यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य को विफल करता है तथा इसके लिए प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई की जा सकती है।

इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस. राजशेखरन बनाम भारत संघ मामले में 13 मई, 2026 को पारित आदेश के माध्यम से सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 125एच एवं नियम 118 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत नए एवं पहले से संचालित पात्र सार्वजनिक सेवा वाहनों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण तथा आपातकालीन बटन निर्धारित समय–सीमा के भीतर स्थापित कराने और उनके अनुपालन का सत्यापन करने को कहा गया है।

परिवहन विभाग इन आवश्यकताओं का पालन नहीं करने वाले वाहनों की पहचान के लिए प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई कर रहा है। फिटनेस परीक्षण तथा अन्य प्रवर्तन गतिविधियों के दौरान वाहनों का निरीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा। नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें फिटनेस प्रमाणपत्र एवं परमिट के संबंध में कार्रवाई भी शामिल है। उल्लंघन की प्रकृति तथा संबंधित वैधानिक प्रावधानों के आधार पर लागू जुर्माना एवं अन्य कानूनी परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार सभी वाणिज्यिक वाहन मालिकों एवं संचालकों, विशेषकर पात्र सार्वजनिक सेवा वाहनों के संचालकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अनिवार्य गति नियंत्रक उपकरण, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण अथवा आपातकालीन बटन को हटाने, उसका संपर्क विच्छेद करने, उसके साथ छेड़छाड़ करने या उसे निष्क्रिय करने से बचें। किसी भी उपकरण में खराबी आने पर उसे अधिकृत एजेंसी के माध्यम से तत्काल ठीक करवाया जाए अथवा बदलवाया जाए। फिटनेस प्रमाणपत्र या परमिट प्राप्त कर लेने का अर्थ यह नहीं है कि उसके बाद किसी अनिवार्य उपकरण को हटाने या निष्क्रिय करने की अनुमति मिल जाती है। नियमों का पालन नहीं करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें लागू जुर्माना तथा फिटनेस प्रमाणपत्र या परमिट के संबंध में कार्रवाई भी शामिल है।

आम जनता को भी सूचित किया गया है कि अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन का परिवहन विभाग इन वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय रूप से निरीक्षण एवं सत्यापन संबंधी कार्रवाई कर रहा है। इन उपायों का उद्देश्य तेज गति से वाहन चलाने पर रोक लगाना, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराना तथा पूरे अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में वाहनों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है। आम जनता से सड़क सुरक्षा की इस पहल में विभाग को सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अण्डमान–निकोबार और लक्षद्वीप में टूना से लेकर समुद्री शैवाल और सजावटी मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)।

देश के समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य पालन की अपार संभावनाओं को विकसित करने की दिशा में विशेष पहल की है। इन द्वीपीय क्षेत्रों में अब टूना मछली उत्पादन, समुद्री शैवाल की खेती और सजावटी मछली पालन को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ–साथ रोजगार और निर्यात के नए अवसर सृजित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए 218 करोड़ रुपये तथा लक्षद्वीप के लिए 175 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य इन द्वीपों की समुद्री संपदा का वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग करते हुए मत्स्य पालन को उत्पादन से आगे बढ़ाकर आधुनिक तकनीक, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात से जोड़ना है।

भारत के पास लगभग 11,099 किलोमीटर लंबी तटरेखा और करीब 24 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) है। देश के ईईजेड में समुद्री मत्स्य संसाधनों की अनुमानित क्षमता 58.6 लाख मीट्रिक टन है। मत्स्य पालन क्षेत्र करीब 50 लाख मछुआरों की आजीविका का आधार होने के साथ खाद्य सुरक्षा, पोषण, रोजगार और विदेशी मुद्रा अर्जन में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वित्त वर्ष 2025–26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात लगभग 73,890 करोड़ रुपये रहा। लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का समुद्री दृष्टि से विशेष महत्व है। दोनों द्वीप समूह मिलकर भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित ये द्वीप समृद्ध समुद्री मत्स्य क्षेत्रों और टूना मछलियों के प्रवास मार्गों तक पहुंच उपलब्ध कराते हैं। लक्षद्वीप के लैगून, प्रवाल भित्तियां और गहरे समुद्री क्षेत्र टूना मत्स्य पालन तथा समुद्री शैवाल की खेती के लिए अनुकूल हैं। वहीं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की विस्तृत तटरेखा, समृद्ध समुद्री जैव विविधता और दक्षिण–पूर्व एशिया के समुद्री मार्गों से निकटता समुद्री जलीय कृषि और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण के विस्तार की संभावनाएं बढ़ाती है। सरकार की रणनीति में टूना मत्स्य पालन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। लक्षद्वीप और अंडमान–निकोबार के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में येलोफिन, स्किपजैक और बिगआई जैसी उच्च मूल्य वाली टूना प्रजातियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इन संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग कर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना है। लक्षद्वीप में पांच वर्षीय योजना के तहत टूना उत्पादन को दोगुना करके 50 हजार टन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए आधुनिक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों, मदर वेसल्स और पारंपरिक पर्यावरण अनुकूल पोल एंड लाइन तकनीक को प्रोत्साहित किया जाएगा।

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पीएमएमएसवाई के तहत समर्पित टूना क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मछली पकड़ने वाले जहाजों का आधुनिकीकरण, नए जहाजों की उपलब्धता, मछली पकड़ने के बेड़े का उन्नयन और शीत भंडारण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की सहायता से बाजार संपर्क मजबूत करने और द्वीपों से सीधे समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।

टूना मत्स्य पालन के साथ समुद्री शैवाल की खेती को भी द्वीपीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बनाने की तैयारी है। लक्षद्वीप के स्वच्छ लैगून और अंडमान–निकोबार के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री शैवाल की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं। समुद्री शैवाल का उपयोग खाद्य पदार्थों, पोषण पूरक उत्पादों, सौंदर्य प्रसाधनों, औषधियों



और जैव–औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। लक्षद्वीप को समर्पित समुद्री शैवाल क्लस्टर के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके तहत बड़े पैमाने पर खेती, बीज बैंक, हैचरी और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे स्थानीय लोगों, विशेषकर तटीय समुदायों के लिए आय और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

द्वीपीय क्षेत्रों में सजावटी मछली पालन भी उच्च मूल्य वाले व्यवसाय के रूप में विकसित किया जाएगा। विशेष रूप से लक्षद्वीप की प्रवाल भित्तियों से जुड़ी सजावटी मछलियों की 300 से अधिक प्रजातियां इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं। सरकार की योजना के तहत मध्यम स्तर की पालन इकाइयां स्थापित करने, संरक्षण आधारित और नियंत्रित संग्रहण पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा सतत तरीके से प्राप्त एक्वेरियम मछलियों को बाजार उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा। इससे समुद्री जैव विविधता को सुरक्षित रखते हुए स्थानीय युवाओं और उद्यमियों के लिए व्यवसाय के नए रास्ते खुल सकेंगे। मत्स्य पालन क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए द्वीपों में आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। इसके अंतर्गत मछली उतारने के केंद्र, बर्फ निर्माण संयंत्र, शीत भंडारण और परिवहन नेटवर्क, जहाजों पर मछलियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था, मछली एकत्रीकरण उपकरण, नौका निर्माण केंद्र और मूल्य संवर्धन इकाइयां विकसित की जाएंगी।

इन सुविधाओं से मछलियों की गुणवत्ता बनाए रखने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साथ ही, द्वीपों से उत्पादों को देश के बड़े बाजारों और अंतरराष्ट्रीय निर्यात केंद्रों तक पहुंचाना आसान होगा।

सरकार की इस पहल का व्यापक उद्देश्य लक्षद्वीप और अंडमान–निकोबार को समुद्र आधारित विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करना है। टूना मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मत्स्य पालन, आधुनिक अवसंरचना, अनुसंधान और निर्यात को एक साथ जोड़कर स्थानीय स्तर पर अधिक मूल्य सृजन की संभावनाएं तैयार की जा रही हैं। हालांकि, इन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि समुद्री संसाधनों के उपयोग के साथ पर्यावरण और प्रवाल भित्तियों का संरक्षण किस तरह सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही, स्थानीय मछुआरों, उद्यमियों और द्वीपीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी होगी। कुल मिलाकर, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य पालन के इन नए आयामों से समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने, स्थानीय रोजगार बढ़ने और भारत के समुद्री खाद्य निर्यात को नई दिशा मिलने की संभावनाएं हैं।

ज़िला कार्ययोजना पर हुई व्यापक

पृष्ठ 1 का शेष

चिकित्सा सेवा, मत्स्य, आपदा प्रबंधन, समाज कल्याण, अण्डमान लोक निर्माण विभाग (एपीडब्ल्यूडी), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सूचना प्रौद्योगिकी, विद्युत तथा नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभागों की वर्ष 2027–2028 की प्राथमिकता आधारित ज़िला कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस दौरान माननीय सांसद, ज़िला योजना समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने विभिन्न सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रस्तुत कीं, ताकि उन्हें संबंधित विभागों की अंतिम कार्ययोजना में शामिल कर योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। बैठक के प्रथम दिन का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

लाल बिजन, डेयरी फार्म में एलईडी फ्लडलाइट

पृष्ठ 1 का शेष



समारोह में विशेष उत्साह एवं खेल भावना का वातावरण बना।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस सुविधा से युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा निखारने, खेलों में रुचि विकसित करने तथा स्वस्थ समुदाय के निर्माण में योगदान देने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

1.20 लाख रुपये मूल्य की सोने की चेन उसके मालिक को लौटाई गई

श्री विजयपुरम, 10 नवंबर।



जनसहयोग और पुलिस की त्वरित कार्रवाई का सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दक्षिण अण्डमान की हम्फ्रीगंज थाना पुलिस ने लगभग 1.20 लाख रुपये मूल्य की खोई हुई सोने की चेन का पता लगाकर उसे उसके वास्तविक मालिक को सुरक्षित वापस लौटा दिया। 8 नवंबर, 2026 की शाम वंडूर तट के पार्किंग क्षेत्र में मिली सोने की चेन को वंडूर की वार्ड सदस्य श्रीमती सुखलता पहान तथा न्यू वंडूर निवासी श्री अजय कुमार बराई ने हम्फ्रीगंज थाना पुलिस के सुपुर्द किया। हम्फ्रीगंज थाना के थाना प्रभारी ने स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सहयोग से चेन के वास्तविक मालिक का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास शुरू किए।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार त्वरित पूछताछ एवं समन्वित प्रयासों के माध्यम से गुप्तापाड़ा निवासी श्रीमती रेवती की पहचान चेन की वास्तविक मालिक के रूप में की गई। इसके बाद, 9 नवंबर, 2026 की शाम आवश्यक सत्यापन के उपरांत सोने की चेन उन्हें सौंप दी गई। श्रीमती रेवती और उनके परिवार के सदस्यों ने मूल्यवान आभूषण को सुरक्षित वापस दिलाने में त्वरित कार्रवाई एवं ईमानदार प्रयासों के लिए हम्फ्रीगंज थाना पुलिस के कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया। दक्षिण अण्डमान पुलिस ने खोई हुई संपत्ति पुलिस को सौंपकर सराहनीय नागरिक ज़िम्मेदारी का परिचय देने वाले श्री अजय कुमार बराई तथा वंडूर की वार्ड सदस्य श्रीमती सुखलता पहान के योगदान की प्रशंसा की है। साथ ही, पुलिस ने त्वरित जनसेवा, व्यावसायिक आचरण तथा जनता और पुलिस के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

कार निकोबार के ककाना गांव में सुनामी जागरूकता कार्यक्रम संचालित

कार निकोबार, 10 नवंबर।

स्थानीय समुदायों में सुनामी के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा आपदा से निपटने की तैयारियों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज कार निकोबार के ककाना गांव के सामुदायिक भवन में सुनामी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन निकोबार ज़िले के उपायुक्त कार्यालय के अंतर्गत ज़िला आपातकालीन संचालन केंद्र (डीईओसी) द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सुनामी से संबंधित आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति स्थानीय समुदायों में जागरूकता एवं तैयारी को बढ़ाना था। इस दौरान प्रतिभागियों को सुनामी के खतरों, इसके कारणों एवं संभावित प्रभावों, प्राकृतिक चेतावनी संकेतों, पूर्व चेतावनी प्रणालियों, सुनामी अलर्ट तथा आपातकालीन संचार व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम में समुदाय के लोगों को निर्धारित निकासी मार्गों, सुरक्षित स्थानों, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं, पारिवारिक स्तर पर आपदा की तैयारी तथा आपातकालीन किट रखने के महत्व से भी परिचित कराया गया। प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों के समाधान के लिए संवादात्मक सत्र



भी आयोजित किए गए तथा आपदा प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन का आपदा प्रबंधन निदेशालय, हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इनकॉयस) तथा दक्षिण अण्डमान, उत्तर व मध्य अण्डमान और निकोबार ज़िला प्रशासनों के समन्वय से ये गतिविधियां संचालित कर रहा है। इनका उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मजबूत करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि तटीय समुदाय सुनामी के खतरों के प्रति अधिक जागरूक, तैयार एवं त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनें।

भारी वर्षा के आसार

श्री विजयपुरम, 10 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 11 से 14 नवंबर, 2026 तक एक–दो स्थानों पर भारी वर्षा (07 से 11 सेंटीमीटर) होने की बहुत अधिक संभावना है। इस दौरान एक–दो स्थानों पर गरज–चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने तथा बिजली चमकने की भी बहुत अधिक संभावना है। इसके अतिरिक्त, 15 एवं 16 नवंबर, 2026 को द्वीपसमूह में एक–दो स्थानों पर गरज–चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने तथा बिजली चमकने की संभावना है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार 10 से 14 नवंबर, 2026 तक अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के समुद्र तटों के आसपास तथा तट से दूर समुद्री क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है तथा झोंकों के साथ इसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 10 से 14 नवंबर, 2026 तक अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के समुद्री तटों के आसपास एवं तट से दूर समुद्र में नहीं जाएं।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

भारत को सऊदी अरब के साथ हज 2027 समझौते के अंतर्गत एक लाख 75 हजार से अधिक जायरीन का कोटा मिला



रियाद, 10 नवम्बर। भारत और सऊदी अरब के बीच हज 2027 के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस समझौते के तहत अगले साल भारत से कुल 1 लाख 75 हजार 25 शरिका हज की इबादत का अवसर पा सकेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू और सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री डॉ. तौफिक बिन फौज़ान अल–रबीआ ने जेदा में मुलाकात के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर दोनों देशों के अधिकारियों ने हज 2027 की तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। जेदा स्थित भारतीय कंसुलेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस समझौते की जानकारी देते हुए कहा कि हज 2027 के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच सहयोग को और मजबूत किया गया है। समझौते के तहत भारत के लिए 1,75,025 शरिकाओं की सीमा सुनिश्चित की गई है।

कंसुलेट के अनुसार, दोनों मंत्रियों के बीच हुई मुलाकात में हज यात्रा से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं, प्रशासनिक प्राथमिकताओं और भारतीय शरिकाओं के लिए सुरक्षित, सुगम और बेहतर यात्रा सुनिश्चित करने के कदमों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि हज के दौरान शरिकाओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए आपसी समन्वय और सहयोग को और मजबूत किया जाए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू शुक्रवार को जेदा पहुंचे थे। उनके दौरे का उद्देश्य छठी हज सम्मेलन और प्रदर्शनी 2027 में भाग लेना, सऊदी अरब के साथ हज समझौते पर हस्ताक्षर करना और अगले साल भारतीय हज शरिकाओं के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा करना था। अपने दौरे के दौरान रिजिजू ने हज शरिकाओं के कल्याण के लिए सऊदी अरब की निरंतर कोशिशों और संकल्प की प्रशंसा की। उन्होंने भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत संबंधों का हवाला देते हुए हज 2027 को सफल बनाने के लिए दोनों देशों के संयुक्त संकल्प का भी प्रदर्शन किया।

किरण रिजिजू ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारतीय कंसल जनरल फहद सौरी और संयुक्त सचिव (हज) मोहम्मद अफ़ज़ल के साथ जेदा में आयोजित छठी हज सम्मेलन और प्रदर्शनी 2027 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हज शरिकाओं के कल्याण और हज 2027 के सफल आयोजन के लिए भारत और सऊदी अरब की साझेदारी को और मजबूत किया जा रहा है। इससे पहले, गुरुवार को सऊदी हज और उमरा मंत्री डॉ. तौफिक बिन फौज़ान अल–रबीआ की ओर से आयोजित सरकारी भोज में भी किरण रिजिजू ने भाग लिया।

मानसून की सटीक जानकारी के लिए आईआईटी मद्रास ने खोजा नया तरीका, 84 साल के आंकड़ों का अध्ययन

नई दिल्ली, 10 नवम्बर। शोधकर्ताओं के मुताबिक किसी जगह बारिश की पहली बूंदें गिरने का मतलब यह नहीं कि वहां मानसून पहुंच गया है। भारत में खेती का बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर करता है। ऐसे में मानसून के पहुंचने के समय का सही अनुमान किसानों के लिए बेहद जरूरी है। यदि किसी इलाके में स्थानीय बारिश को ही मानसून की शुरुआत मान लिया जाए और किसान बुवाई कर दें, लेकिन उसके बाद बारिश का सिलसिला जारी न रहे, तो फसलों को नुकसान हो सकता है।

आईआईटी मद्रास के अनुसार शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में 84 वर्षों के बारिश के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इसके आधार पर पता चला कि औसतन पूर्वोत्तर भारत में बड़े स्तर पर मानसून की शुरुआत 15 मई के आसपास होती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में यह समय लगभग 9 जून होता है। अध्ययन में यह भी सामने आया कि मानसून की शुरुआत के दौरान बारिश से बने सबसे बड़े समूह का आकार अचानक बढ़ता है। इसके बाद यह समूह लगातार भौगोलिक रूप से फैलता है और उत्तर की ओर बढ़ता जाता है।

यही प्रक्रिया मानसून के देशभर में आगे बढ़ने का संकेत देती है। इसकी मदद से यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी स्थान पर मानसून की वास्तविक और बड़े स्तर पर शुरुआत कब हुई है। इस शोध की खास बात यह है कि इसमें केवल किसी एक जगह पर हुई बारिश को आधार नहीं बनाया गया है, बल्कि देश के अलग–अलग हिस्सों में



बारिश की शुरुआत के बीच बनने वाले आपसी संबंधों का अध्ययन किया गया है।

शोधकर्ताओं ने जलवायु नेटवर्क और जटिल तंत्रों के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए यह समझने की कोशिश की कि अलग–अलग इलाकों में शुरू हुई बारिश कब एक बड़े और आपस में जुड़े मानसूनी तंत्र का हिस्सा बन जाती है। इससे स्थानीय स्तर पर कुछ समय के लिए हुई बारिश और लगातार सक्रिय होने वाले बड़े मानसून के बीच अंतर करना आसान हो सकता है। यह तरीका बुवाई का सही समय तय करने, जल संसाधनों व बाढ़ की तैयारी करने में मददगार साबित हो सकता है। आईआईटी मद्रास के मुताबिक इस शोध के नतीजे अमेरिकन मेटियोरोलॉजिकल सोसाइटी की प्रतिष्ठित शोध पत्रिका 'जर्नल ऑफ क्लाइमेट' में प्रकाशित हुए हैं। इसके सह–लेखकों में योगेनराज पाटिल, गौरव चोपड़ा, श्रुति टंडन, प्रो. आर.आई. सुजीत और प्रो. बी.एन. गोस्वामी शामिल हैं।

असम में 600 करोड़ की लागत से बनेगा देश का पहला सार्वजनिक प्रोटॉन बीम थेरेपी केंद्र

गुवाहाटी, 10 नवम्बर (हि.स.)। असम में देश का पहला सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र का प्रोटॉन बीम थेरेपी केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने हाल ही में इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 600 करोड़ रुपये की लागत वाले एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह पहल असम, पूर्वोत्तर और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक होगी। दुनिया की सबसे आधुनिक कैंसर उपचार तकनीकों में शामिल प्रोटॉन बीम थेरेपी को सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, फिलहाल भारत में प्रोटॉन बीम थेरेपी की सुविधा केवल निजी अस्पतालों में उपलब्ध है, जहां इस उपचार पर करीब 50 लाख रुपये तक खर्च आता है। प्रस्तावित केंद्र के माध्यम से इस अत्याधुनिक तकनीक को आम मरीजों के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रोटॉन बीम थेरेपी में अत्यधिक सटीकता के साथ ट्यूमर को निशाना बनाया जाता है, जिससे आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से

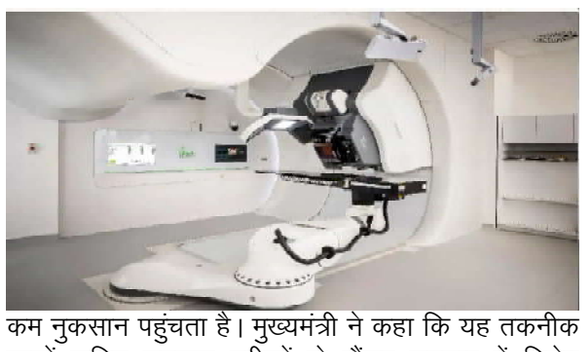

कम नुकसान पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह तकनीक बच्चों सहित उपयुक्त मरीजों के कैंसर उपचार में विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकती है।

राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि असम में कुल 17 कैंसर अस्पताल विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 12 पहले से ही संचालित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक स्तर पर नियमित जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के कार्यक्रमों के साथ–साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन तथा बुनियादी ढांचे के विकास पर लगातार निवेश किया जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य असम को कैंसर उपचार के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है।

भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय नशीले पदार्थ रोधी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई

नई दिल्ली, 10 नवम्बर। भारत और अमेरिका ने नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में अपने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2–3 नवंबर को नई दिल्ली में 'भारत–अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप' की दूसरी बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में दोनों देशों के नीति–निर्माताओं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनसीबी महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी की कार्यवाहक उप–निदेशक डेबी सेगुइन ने किया।

'भारत–अमेरिका ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क' के तहत दोनों पक्षों ने अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए मौजूदा सहयोग की समीक्षा की। बैठक में खुफिया जानकारी के आदान–प्रदान, कानून प्रवर्तन की संयुक्त कार्रवाई, प्रीकर्सर रसायनों पर नियंत्रण, फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन की सुरक्षा और नशीले पदार्थों की मांग कम करने जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। एनसीबी महानिदेशक अनुराग गर्ग ने 'इंडिया विजन रोडमैप 2026–2029' का जिक्र करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार इस रोडमैप में नेटवर्क–आधारित जांच, वित्तीय जांच, रोकथाम और पुनर्वास



पर जोर दिया गया है। भारत अब तस्करों के पूरे इकोसिस्टम–फाइनेंसर, सप्लायर, मददगार और लॉजिस्टिक नेटवर्क.को निशाना बना रहा है। ONDCP निदेशक सारा कार्टर (जिन्हें अमेरिका में ड्रग ज़ार कहा जाता है) ने कहा कि यह एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों के नेटवर्क को तोड़ने और सिंथेटिक ड्रग्स तथा केमिकल प्रीकर्सर को वैश्विक बाजारों में जाने से रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की '2026 नेशनल ड्रग कंट्रोल स्ट्रेटेजी' का हवाला देते हुए कहा कि आज के आपराधिक नेटवर्क बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह काम करते हैं। ऐसे संगठित दुश्मन से निपटने के लिए सीमाओं के पार मिलकर काम करना जरूरी है।

विश्व आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन, 65 देशों में पांचवां स्थान हासिल किया

नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। भारत ने 47वीं विश्व आर्म रेसलिंग और 28वीं विश्व पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 65 देशों के बीच पांचवां स्थान हासिल किया। नई दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 59 पदक जीते, जिनमें नौ स्वर्ण, 19 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।

पीपुल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (पीएएफआई) और प्रो पंजा लीग ने वर्ष 2026 के लिए शीर्ष 10 में जगह बनाने और अगले तीन वर्षों में शीर्ष पांच में पहुंचने का लक्ष्य रखा था। भारतीय खिलाड़ियों ने यह उपलब्धि निर्धारित समय से तीन साल पहले ही हासिल कर ली।

भारतीय दल के प्रदर्शन में पैरा खिलाड़ियों की अहम भूमिका रही। उन्होंने दो स्वर्ण, 10 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 26 पदक जीते। इस प्रदर्शन के साथ भारत पैरा वर्ग की पदक तालिका में पांचवें स्थान पर रहा। सब–जूनियर, जूनियर और युवा वर्ग के खिलाड़ियों ने तीन स्वर्ण, आठ रजत और नौ कांस्य सहित 20 पदक जीते। मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों को चार स्वर्ण, एक रजत और सात कांस्य सहित 12 पदक मिले। सीनियर वर्ग में भारत ने एक कांस्य पदक हासिल किया।

विश्व आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का अगला संस्करण



2027 में कनाडा में आयोजित किया जाएगा। वहीं, भारत में प्रो पंजा लीग का पूनावाला गोल्ड संस्करण–2 आगामी 28 नवंबर को पुणे में होगा। इसमें विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता योगेश चौधरी, हरकोमल सिंह गिल और आभास राणा भी हिस्सा लेंगे। पीएएफआई ने विश्व आर्म रेसलिंग फेडरेशन के मार्गदर्शन में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया। प्रतियोगिता 29 अक्टूबर से छह नवंबर तक पूर्वी दिल्ली के लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल में हुई। इसमें 1,700 से अधिक खिलाड़ियों, अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता की समग्र पदक तालिका में रूस ने पहला, कजाकिस्तान ने दूसरा और तुर्किये ने तीसरा स्थान हासिल किया।

81 वर्षीय ब्रिटिश लेखक एम जॉन हैरिसन ने 'द एंड ऑफ एवरीथिंग' के लिए जीता बुकर पुरस्कार

नई दिल्ली, 10 नवम्बर। ब्रिटिश लेखक एम. जॉन हैरिसन को उनकी व्यंग्यात्मक कृति 'द एंड ऑफ एवरीथिंग' के लिए 2026 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें एक भयावह काल्पनिक भविष्य का चित्रण किया गया है। 81 वर्षीय हैरिसन छह दशक लंबे लेखन करियर के बाद यह प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाले सबसे उम्रदराज लेखक बन गए हैं।

महज 198 पृष्ठ का 'द एंड ऑफ एवरीथिंग' इस वर्ष पुरस्कार की अंतिम सूची में शामिल सबसे छोटा उपन्यास भी था। निर्णायक मंडल के सदस्यों का मानना था कि यह पुस्तक पाठकों को दुनिया के प्रति ''आशावाद की एक हल्की–सी भावना'' से भर देती है। पुरस्कार जीतने के बाद हैरिसन ने कहा, "आखिरकार अब मुझे लगने लगा है कि मैं सचमुच एक लेखक बन गया हूं, हालांकि अब भी मुझमें आत्मविश्वास की कमी है।" उन्होंने कहा, "आज के दौर में, जब उपन्यास लेखन भी बड़े पैमाने पर एक औद्योगिक गतिविधि बनता जा रहा है, ऐसे पुरस्कारों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। हालांकि, बुकर जैसा कोई दूसरा पुरस्कार है ही नहीं।"

वर्ष 2026 के बुकर पुरस्कार की अंतिम सूची में ब्रिटेन के लेखकों का दबदबा रहा। इसमें स्कॉटिश–अमेरिकी लेखक और पूर्व बुकर पुरस्कार विजेता डगलस स्टुअर्ट भी शामिल थे, जिन्हें इस वर्ष उनके उपन्यास 'जॉन ऑफ जॉन' के लिए चुना गया था। इस पुरस्कार के एक अन्य पूर्व विजेता एवं जमैका के लेखक मार्लन जेम्स भी अपने उपन्यास 'द डिसअपियरर्स' के साथ दौड़ में शामिल थे। इसके अलावा, एलिजाबेथ स्ट्राउट का उपन्यास 'द थिंग्स वी नेवर से', ल्यूक केनार्ड की कृति 'ब्लैक बैग' और रेबेका पेरी का उपन्यास 'मे वी फीड द किंग' भी अंतिम सूची में शामिल थे। बुकर पुरस्कार 2026 के निर्णायक मंडल की अध्यक्ष एवं लेखिका मैरी बियर्ड ने कहा, "इस वर्ष की अंतिम सूची में



शामिल छह असाधारण उपन्यासों पर निर्णायक मंडल ने पूरे दिन विचार–विमर्श किया। इसके बाद सर्वसम्मति से एम. जॉन हैरिसन के उपन्यास 'द एंड ऑफ एवरीथिंग' को 2026 के बुकर पुरस्कार के लिए चुनने का फैसला किया गया।"उन्होंने कहा, "यह ऐसी किताब है, जो आपको भीतर तक झकझोर देती है, आपके चेहरे पर हल्की–सी कटाक्ष भरी मुस्कान ले आती है और हैरानी की बात है कि अपनी विषयवस्तु के बावजूद मन में आशा की एक हल्की किरण भी जगा जाती है।"

मध्य प्रदेश के श्रीवत्री शतरंज में भारत के 100वें ग्रैंडमास्टर बने

मध्य प्रदेश के इंटरनेशनल मास्टर अनुज श्रीवत्री ने फिलीपींस में सातवीं आसियान प्लस अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता जीतकर भारत के 100वें ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव हासिल किया है। वे मध्य प्रदेश के पहले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। अनुज ने शुरुआती दौर में हार के बाद शानदार वापसी की और अपने अंतिम आठ मुकाबलों में सात अंक हासिल कर ग्रैंडमास्टर का खिताब जीता। भारत के शतरंज प्रेमियों को देश के 100वें ग्रैंडमास्टर का इंतजार था। वहीं मध्य प्रदेश को भी अपने पहले ग्रैंडमास्टर की प्रतीक्षा थी।

छठ पूजा में क्यों दिया जाता है डूबते सूर्य को अर्घ्य? जानिए इसके पीछे की मान्यता

नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। छठ महापर्व देश के प्रमुख लोकपर्वों में से एक है, जिसे खासतौर पर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा की सबसे खास बात यह है कि इसमें उगते सूर्य के साथ–साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है।

हिंदू धर्म में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। सूर्य से ही पृथ्वी पर प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा मिलती है। पेड़–पौधों से लेकर इंसानों और दूसरे जीवों तक, सभी का जीवन सूर्य पर निर्भर करता है। यही वजह है कि प्राचीन समय से ही सूर्य की उपासना करने की परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य देना इसी कृतज्ञता और सम्मान की भावना को दर्शाता है।

छठ पर्व को सूर्य षष्ठी, प्रतिहार षष्ठी और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दौरान व्रती पूरे नियम और श्रद्धा के साथ छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा करते हैं।

इस पर्व में तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा



किया जाता है। इस तरह सूर्य के अस्त और उदय, दोनों अवस्थाओं की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, छठी मैया की पूजा करने से परिवार में सुख–समृद्धि आती है और संतान की खुशहाली के लिए उनका आशीर्वाद मिलता है। छठ पूजा सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति आभार जताने का भी एक खास तरीका है। पुराने समय में लोगों का जीवन खेती और प्रकृति पर निर्भर था। सूर्य की रोशनी फसलों के विकास, मौसम के बदलाव और जलचक्र को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए सूर्यदेव को धन्यवाद देने की परंपरा भी इस पर्व से जुड़ी हुई है।–आईएएनएस

इतिहास के पन्नों में 11 नवम्बर

नई दिल्ली, 10 नवम्बर।
1675 – गुरु गोबिन्द सिंह सिक्खों के गुरु नियुक्त हुए थे।
1809 – ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लोगों का आह्वान करते हुए एक घोषणा निकाली, जो 'कुण्डरा घोषणा' नाम से जानी जाती है।
1905 – द प्रिंस ऑफ़ वेल्स ने द प्रिंस ऑफ़ वेल्स संग्रहालय की नींव रखी थी।
1918 – पोलैंड ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया।
1937–अमेरिका के क्लिंटन डेविसन और इंग्लैंड के सर जी पी थॉमसन को भौतिकशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
1966 – अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यान 'जेमिनी–12' लांच किया।
1973 – पहली अंतरराष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी नयी दिल्ली में शुरू।
1975 – अंगोला को पुर्तग़ाल से आजादी मिली।
1978 – मॉमून अब्दुल गयूम मालदीव के राष्ट्रपति बने।
1982 – इजरायल के सैन्य मुख्यालय में गैस विस्फोट में 60 लोगों की मौत।
1989 – बर्लिन की दीवार गिराने की शुरुआत।
1995 – नाइजीरिया में मानवाधिकार कार्यकर्ता केन सारो वीवा तथा उनके 8 सहयोगियों को फ़ांसी दिये जाने के कारण विश्व भर में नाइजीरिया की भर्त्सना।
2000 – ऑस्ट्रिया में सुरंग से गुजरती हुई ट्रेन में आग लगने से 180 लोगों की मृत्यु।
2001 – दोहा बैठक में डब्ल्यूटीओ ने भारत का समर्थन किया।
2004 – यासिर अराफात का निधन। महमूद अब्बास पीएलओ के नये अध्यक्ष।

फा. सं.A-12/1/2026-Confi.Cell-A-EDN_AN/284
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

श्री विजय पुरम, दिनांक 05 नवम्बर, 2026

प्रेस सूचना

यह सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, श्री विजय पुरम के शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय)/उप–प्रधानाचार्य (Headmaster (Secondary Schools)/Vice Principal) समूह 'A', राजपत्रित, मंत्रालयेत्तर पद के लिए मसौदा भर्ती नियम (Draft Recruitment Rule) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट https://andamannicobar.gov.in/ पर अपलोड कर दिए गए हैं।

उक्त मसौदा भर्ती नियमों के संबंध में सभी हितधारकों से दावे/आपत्तियाँ (यदि कोई हों) आमंत्रित किए जाते हैं।

दावे/आपत्तियाँ इस प्रेस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर ई–मेल के माध्यम से recruitment.ednani@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं।

प्रेस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त किसी भी दावे अथवा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

संलग्नकः यथोक्त

ह./–
उप सचिव (शिक्षा)
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

श्री विजयपुरम, दिनांक 05 नवम्बर, 2026

संख्या..... F.No. A-12/1/2026-Confi.Cell-A-EDN_AN/149639 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रावधान के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 21.02.1985 की अधिसूचना संख्या यू–14939/2/83–ए.एन.एल (समूह 'क' राजपत्रित पदों के संबंध में) तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन संख्या AB-14017/13/2016-Estt. (RR) दिनांक 09/08/2016 के अनुसरण में, संघ लोक सेवा आयोग ;UPSC)] नई दिल्ली की स्वी.ति, जो उनके पत्र संख्या F.No.3/30(6) दिनांक 29 जुलाई, 2022 के माध्यम से संसूचित की गई है, प्राप्त होने के उपरांत तथा अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र अधिसूचना संख्या 112 दिनांक 04/10/2022 का अधिक्रमण करते हुए, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के उप राज्यपाल (प्रशासक) एतद्वारा शिक्षा निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन में सृजित प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय)/उप–प्रधानाचार्य के समूह 'क' (राजपत्रित, अराजपत्रित–मंत्रालयिकेतर) पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

हितधारकों/इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उक्त नियमों के संबंध में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो, तो उसे आधिकारिक वेबसाइट पर इसके प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर निदेशक, शिक्षा निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के कार्यालय में विचारार्थ प्राप्त हो जाना चाहिए।

1. **संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ** :–

क) इन नियमों को संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, शिक्षा विभाग, प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय) /उप–प्रधानाचार्य (समूह 'क', राजपत्रित, अराजपत्रित–मंत्रालयिकेतर पद) भर्ती नियम, 2026 कहा जाएगा।

ख) यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :–

पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, तथा अर्हताएं (योग्यताएँ) :–

उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, तथा अर्हताएं तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **अयोग्यताएँ** :–

कोई भी ऐसा व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसनेः–

क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसका पति/पत्नी जीवित है

या

ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो। वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि उप–राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह को यह संतुष्टि हो कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

5. **ढील देने की शक्ति** :–

जहां उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो तो वे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

6. **व्यावृत्ति** :–

इन नियमों की कोई भी बातें ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

प्रो. (डॉ.) दिनेश शर्मा
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

ह./–
उप–सचिव (शिक्षा),
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

शिक्षा विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय)/उप–प्रधानाचार्य के पद हेतु भर्ती नियमों का प्रारूप

1.	पद का नाम	**प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय)/उप–प्रधानाचार्य**
2.	पदों की संख्या	68* (अड़सठ) *2026* प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय) – 28 पद उप प्रधानाचार्य – 40 पद *(कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय)
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मेट्रिक्स मे स्तर (वेतनमान)	वेतन मेट्रिक्स–10 (रूपए 56,100 से 1,77,500/–)
5.	चयन पद या गैर–चयन पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे?	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	पदोन्नत के लिए 02 (दो) वर्ष।
10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति का प्रतिशत।	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ऐसा नही होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती करने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	**पदोन्नति –** स्नातकोत्तर शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय), वेतन मैट्रिक्स के स्तर–8 (रु. 47,600–1,51,100) या उससे ऊपर के लेवल में कार्यरत, जिन्होंने संबंधित ग्रेड में न्यूनतम चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो तथा जिनके पास निम्नलिखित योग्यताएँ हों– किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि। **तथा** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से तीन वर्षीय स्नातक उपाधि अथवा दो वर्षीय स्नातक उपाधि के साथ एक वर्षीय ब्रिज कोर्स। **तथा** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से शिक्षा में स्नातक उपाधि। **नोट 1** :– पदोन्नति हेतु पात्रता सूची संबंधित ग्रेड/पद में निर्धारित अर्हक सेवा पूर्ण करने की तिथि के संदर्भ में तैयार की जाएगी। **नोट 2** :– जहाँ निर्धारित अर्हक सेवा/पात्रता सेवा पूर्ण कर चुके कनिष्ठ अधिकारियों पर पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारियों के नामों पर भी पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे निर्धारित अर्हक सेवा/पात्रता सेवा की अवधि में आधी अवधि अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक कम न हों तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु निर्धारित परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो। **प्रतिनियुक्तिः–** केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों मे कार्यरत अधिकारी जो :– **(क)** (i) नियमित आधार पर अनुरूप अधिकारी। **अथवा** (ii) वर्तमान संवर्ग /विभाग मे वेतन मैट्रिक्स मे स्तर–9 (रु. 53,100–1,67,800) अथवा समतुल्य वेतन मे नियमित आधार पर दो वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों। **अथवा** (ii) वर्तमान संवर्ग/विभाग मे वेतन मैट्रिक्स मे स्तर–8 (रु. 47,600–1,51,000) अथवा समतुल्य वेतन मे नियमित आधार पर चार वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों। **तथा** **(ख)** निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखते हों– (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से तीन वर्षीय स्नातक उपाधि अथवा दो वर्षीय स्नातक उपाधि के साथ एक वर्षीय ब्रिज कोर्स। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से शिक्षा में स्नातक उपाधि। (iii) किसी मान्यताप्राप्त मध्य/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन का पाँच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** :– (i) किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दो (02) वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। (i) कक्षा 10 में हिंदी विषय का अध्ययन किया हो।
12.	यदि डी.पी.सी. (DPC) मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	**समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति– पदोन्नति पर विचार करने हेतु** 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य – अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन – सदस्य 3. सचिव (शिक्षा), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन – सदस्य 4. निदेशक (शिक्षा), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन – सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति – पुष्टि पर विचार करने हेतु** 1. मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन– अध्यक्ष 2. सचिव (शिक्षा), अण्मान तथा निकोबार प्रशासन– सदस्य 3. निदेशक (शिक्षा), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन– सदस्य
13.	परिस्थितियां जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	पदोन्नति के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

भर्ती नियमावली का अनुलग्नक
प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय)/उप–प्रधानाचार्य के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय)/उप–प्रधानाचार्य, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के शिक्षा निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालय के समग्र शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं सह–पाठ्यचर्या संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे तथा निम्नलिखित कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे :–

1. प्रशासन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, शैक्षणिक कैलेंडर, अधिगम प्रतिफल एवं शैक्षिक नीतियों का कार्यान्वयन तथा शैक्षणिक समन्वय करना।
2. विद्यालय की समय–सारणी तैयार करना एवं उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, शैक्षणिक कार्यों का आबंटन करना तथा उपलब्ध शिक्षण कर्मचारियों एवं शैक्षिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना।
3. विद्यार्थियों की उपस्थिति, शैक्षणिक प्रदर्शन, अनुशासन एवं उनके समग्र विकास की निगरानी करना।
4. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय में सह–पाठ्यचर्या, खेलकूद, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन एवं समन्वय करना।
5. विद्यालय के पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सुविधाओं, शिक्षण–अधिगम सामग्री, खेलकूद सुविधाओं तथा अन्य शैक्षिक संसाधनों का विकास एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।
6. विद्यालय परिसर, फर्नीचर, उपकरणों एवं अन्य संपत्ति का भौतिक रखरखाव, स्वच्छता एवं अनुरक्षण सुनिश्चित करना।
7. विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा, संरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना।
8. विद्यालयी शिक्षा तथा राष्ट्रीय हित से संबंधित भारत सरकार एवं अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
9. प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति के दौरान सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन, विशेष रूप से सौंपे जाने पर प्रधानाचार्य की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करना एवं ऐसे कार्यों का निर्वहन करना।
10. प्रधानाचार्य अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षण संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करना।

नोटः– उपर्युक्त निर्दिष्ट कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व केवल उदाहरणात्मक हैं तथा संपूर्ण नहीं हैं। सक्षम प्राधिकारी, लागू नियमों एवं अनुदेशों के अधीन, पद से संबंधित अथवा विद्यालय के कुशल संचालन हेतु आवश्यक अन्य आनुषंगिक कर्तव्य भी सौंप सकता है।

ह./–
उप–सचिव (शिक्षा),
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

11 नवंबर को क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? जानें मौलाना अबुल कलाम आजाद का योगदान और इतिहास

नई दिल्ली, 10 नवम्बर।

इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना और भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकास में मौलाना आजाद के योगदान को याद करना है.

मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का (वर्तमान सऊदी अरब) में हुआ था. उनका पूरा नाम अबुल कलाम गुलाम मुहियुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल–हुसैनी था. वे स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, शिक्षाविद् और राजनीतिज्ञ थे. उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वर्ष 1912 में उन्होंने उर्दू साप्ताहिक पत्रिका 'अल–हिलाल' की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया.

मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे. उन्होंने 15 अगस्त 1947 को शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला और 2 फरवरी 1958 तक इस पद पर रहे. शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने देश में प्राथमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया. उनका मानना था कि शिक्षा प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और समाज के सभी वर्गों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए. उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन (UGC) और तकनीकी शिक्षा के विकास से जुड़ी संस्थाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

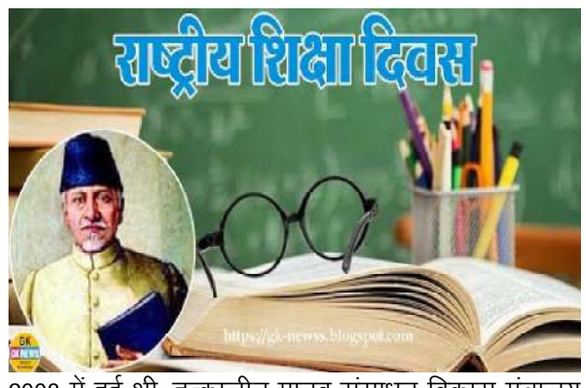

भारत में Rashtriya Shiksha Diwas मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी. तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था. इसके बाद 11 नवंबर 2008 को देश में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया. इसका उद्देश्य मौलाना आजाद के शिक्षा क्षेत्र में योगदान को सम्मान देना और विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना था.

11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1888 में मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था. वे शिक्षा को देश के विकास और सामाजिक समानता का महत्वपूर्ण आधार मानते थे. उनकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाकर देश उनके विचारों और योगदान को याद करता है. इस अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में भाषण, निबंध, क्विज और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

आचार संहिता सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होगीः निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 10 नवम्बर। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आचार संहिता के अंतर्गत सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंध और निषेध सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में विभिन्न पदों पर कार्यरत लोगों पर भी लागू होंगे। इस संबंध में आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। यहां अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने कहा है कि ऐसे लोगों को राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी चाहिए और चुनाव प्रचार में शामिल होने से बचना चाहिए। आयोग ने कहा है कि ऐसे लोग चुनाव की घोषणा हो चुके निर्वाचन क्षेत्र या जिले के चुनाव संबंधी अधिकारी को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुलाएंगे और न ही ऐसे किसी अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि आचार संहिता के प्रावधान सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित सभी संगठनों, निगमों और आयोगों और उनके कर्मचारियों पर लागू होते हैं। आयोग ने कहा कि राज्यों में संबंधित आचार संहिता सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में शामिल होने से रोकती है।